

[2020] 4 एस. सी. आर 181

बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य।

बनाम

अरुण कुमार एवं अन्य।

(सिविल अपील सं 2414-2416/2020)

06 मई, 2020

[आर. एफ. नरीमन और एस. रवींद्र भाट, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानून-स्नातक स्तर की संयुक्त परीक्षा-2010-बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बी. एस. एस. सी.) द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के पदों पर 1569 रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी की गई थी- परीक्षाएं आयोजित की गई-प्रारंभिक परीक्षा के सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए-मुख्य परीक्षा के कुछ मॉडल उत्तरों पर आपत्तियां थीं-बी. एस. एस. सी. द्वारा उन आपत्तियों की जांच हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया; गठित समिति के जाँच प्रतिवेदन में १३ प्रश्नों के संबंध में बदलाव का सुझाव दिया गया-विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन की स्विकृत का अर्थ यह था कि परिणामों में आवश्यक पुनरीक्षण- लिखित याचिकाएं दाखिल की गई-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप 915 उम्मीदवारों को शामिल करने का निर्देश दिया और बीएसएससी को चार अन्य प्रश्नों को हटाने के बाद उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने चार और प्रश्नों को संशोधित करके एकल न्यायाधीश के फैसले में और हस्तक्षेप किया इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने बी. एस. एस. सी. को प्रश्नों के सही उत्तर निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्देश दिया-रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, बी. एस. एस. सी. ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश का पालन करने से प्रशासनिक अराजकता पैदा होगी क्योंकि इससे आगामी अंतिम परिणाम में भारी बदलाव आएगा- उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में कानून की घोषणा को साफ तौर पर देखें तो उच्च न्यायालय द्वारा (एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों द्वारा) किए गए पुनर्मूल्यांकन के एकतरफा अभ्यास ने अराजकता में योगदान दिया है सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष के द्वारा कोई नियम या विनियमन नहीं दिखाया गया था जो अपनाए गए दृष्टिकोण को उचित ठहरा सके। बी. एस. एस. सी. ने पहली बार में आपत्तियों की जाँच हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन कर सही काम किया था के एक पैनल को उत्तर भेजने में सही काम किया था-यदि उस पैनल की सिफारिशों के बारे में न्यायोचित संदेह थे, तो कम से कम यह किया जाना चाहिए था कि उन विवादित प्रश्नों के समीक्षा हेतु किसी अन्य विशेषज्ञ समिति का गठन कर भेजा जाना चाहिए था, जो कि बी. एस. एस. सी. द्वारा नहीं किया गया-एकल न्यायाधीश द्वारा चिह्नित सुधारों को बी.एस.एस.सी. द्वारा स्वीकृत किया

गया-एकल न्यायाधीश के निदेशानुसार नई चयन सूची तैयार की गई और जिन उम्मीदवार ने जगह बनाई उन्हें बाद में नियुक्त किया गया-उसके बाद उच्चतम न्यायालय के खंड पीठ के हस्तक्षेप एवं प्रश्नों को विशेषज्ञों के किसी भी अन्य पैनल में न भेजकर पूरी चयन प्रक्रिया को अनिश्चिता की अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया गया है- उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की सिफारिश एवं अभ्यास यह इंगित करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा किये गये मूल्यांकन सही नहीं थे इसिलिए उक्त सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा बी.एस.एस.सी. को गठित विशेषज्ञों की सिफारिशों और रिपोर्टों के आलोक में परिणामों का मूल्यांकन करने और नए सिरे से प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाता है और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार पहले की गई नियुक्तियों में बाधा नहीं डालने का निर्देश दिया जाता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों से अधिक है तो राज्य भविष्य में रिक्तियों की तुलना में संबंधित संवर्गों में अतिरिक्त संख्या को समायोजित करें-तदनुसार, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के फैसले को रद्द किया गया।

95; प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं अन्य। (2004) 6 एससीसी 714: [2004] 3 पूरक। एससीआर 372; केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव, अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा एवं अन्य बनाम खुशबू श्रीवास्तव एवं अन्य (2014) 14 एससीसी 523: [2011] 10 एस. सी. आर. 286- पर निर्भर।

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर बोर्ड एवं अन्य बनाम परितोष भुपेशकुमार सेठ और अन्य। (1984) 4 एससीसी 27: [1985] 1 एस. सी. आर. 29; माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पांडा (2004) 13 एस. सी. सी. 383; हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग v. मुकेश ठाकुर और अन्न (2010) 6 एस. सी. सी. 759: [2010] 7 एस. सी. आर. 189; गंगाधर पालो बनाम। राजस्व मंडल अधिकारी और ए. एन. आर. (2011) 4 एससीसी 602: [2011] 3 एससीआर 746; प्रणव वर्मा बनाम। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1610-संदर्भित।

मनोज कुमार बनाम। बिहार राज्य और अन्य। 2012 (1) पीएलजेआर 542 – संदर्भित किया गया।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य।

बनाम

अरुण कुमार एवं अन्य।

कानूनी संदर्भ

[2017] 12 एससीआर 95	आधारित	पैरा 18
[1985] 1 एससीआर 29	संदर्भित	पैरा 20
[2004] 3 पूरक। एससीआर 372	आधारित	पैरा 20
(2004) 13 एस. सी. सी. 383	संदर्भित	पैरा 20
[2010] 7 एससीआर 189	संदर्भित	पैरा 20
[2011] 3 एससीआर 746	संदर्भित	पैरा 20
[2011] 10 एससीआर 286	आधारित	पैरा 20

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं 2414-16/2020

उच्च न्यायालय के एल. पी. ए. सं. 1170/2013, 1174/2013 & 1352 / 2013 में पारित 24.06.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश के साथ सिविल अपील सं 2420-2421 और 2020 का 2424

विजय हंसारिया, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, कविन गुलाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता, राकेश सिंह, अरुण के. सिन्हा, विकास सिंह जांगड़ा, अमित कुमार पाठक, अभिनव बजाज, प्रसन्ना मोहन, कुणाल वर्मा, आनंद शंकर झा अर्पित गुप्ता, मो. अली, प्रियांशी अग्रवाल, अर्जुन गर्ग, साकेत सिंह, श्रीमती निरंजना सिंह, स्मारहर सिंह, आशुतोष ठाकुर, राणा प्रशांत, मिथिलेश कुमार सिंह, सुश्री मंजू सिंह, तरुण वर्मा, सुश्री कामाक्षी एस. महलवाल, सनवीर महलवाल, विजय कुमार, अब्दुल गफ्फार, गोपाल सिंह और श्रीकांत एस., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एस. रवींद्र भाट, न्यायाधीश

गया।

1. विशेष अनुमति याचिका स्वीकृत की गई। पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से पक्षों को सुना

2. ये अपीलें उच्च न्यायालय पटना में दाखिल एल. पी. ए. सं. 1200/2013 (सीडब्ल्यूजेसी सं. 3640/2013 में), एलपीए सं. 1170/2013 (सीडब्ल्यूजेसी सं. 3740/2013 सी. आर. पटना, LPA सं. 1174/2013 (CWJC सं. 4265/2013 में) और एलपीए सं. 1352/2013 CWJC सं. 3640/2013 में), पारित एक सामान्य निर्णय दिनांक 24.06.2015 के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं।

3. अपीलों का एक समूह (एसएलपी (सी) संख्या 23202-23204 / 2015 से उत्पन्न) बिहार कर्मचारी चयन आयोग (अब से बी०एस०एस०सी) द्वारा दाखिल की गई है एवं दुसरा अपीलों का समुह उन पीड़ित पक्षों से संबंधित है जो उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष, चार अन्तर न्यायालय अपीलों में अपीलार्थी थे और जिन्होंने एकल न्यायाधीश के निर्णय एवं आदेश पर सवाल उठाया था। एकल न्यायाधीश ने मुख्य परीक्षा के परिणामों को दरकिनार कर दिया, न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्णय में निर्धारित प्रश्नों और उत्तरों को हटाने/संशोधित कर बी. एस. एस. सी. को स्नातक स्तर की संयुक्त परीक्षा-2010 के नए परिणाम तैयार करने के निर्देश दिए गए। पीड़ित पक्ष अपीलार्थी रिट कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, लेकिन उन्हें पहले प्रकाशित परिणामों में चयनित घोषित किया गया था, परंतु बाद में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा न्यायालय के निर्देशानुसार संशोधित परिणामों में अयोग्य दिखाया गया था। खण्ड पीठ के समक्ष प्रस्तुत तीन अपीलों उन उम्मीदवारों द्वारा की गई थीं जो रिट याचिकाकर्ता थे और जिन्होंने चुनौती किए गए सभी प्रश्नों के संबंध में उन्हें पूरी राहत नहीं देने में एकल न्यायाधीश के फैसले का विरोध किया था क्योंकि घोषित अंतिम परिणामों में इन उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया था।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 18.06.2010 को बी. एस. एस. सी. ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु 1569 रिक्तियों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया जिसके अन्तर्गत परीक्षाएं आयोजित की गईं तथा दिनांक 12.04.2012 को प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए जो कि पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय बन गया। उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नों के मूल्यांकन एवं विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशित परिणामों के माँगे जाने पश्चात परिणामों की नई घोषणा का निर्देश दिया। नतीजतन, परिणामों की नई घोषणा

दिनांक 29.12.2012 को की गई। 27,289 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए एवं रिक्तियों की संख्या बढ़कर 3285 (1569 की मूल संख्या से) हो गई। दिनांक 27.10.2013 को दूसरे चरण के हिस्से, मुख्य लिखित परीक्षा (चयन के लिए) आयोजित की गई जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। दिनांक 28.01.2013 को मुख्य परीक्षाओं के मॉडल उत्तर प्रकाशित किए गए थे तदोपरांत बी. एस. एस. सी. ने मॉडल उत्तरों पर टिप्पणियाँ और आपत्तियाँ निकालीं।

5. बी. एस. एस. सी. ने आपत्तियों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया तथा समिति की रिपोर्ट में 13 प्रश्नों के संबंध में बदलाव का सुझाव दिया। समिति की रिपोर्ट की स्वीकृति का अर्थ यह था कि परिणामों में संशोधन किया जाना जिस कारण पटना उच्च न्यायालय के समक्ष पाँच रिट याचिकाएँ दाखिल की गईं। बी. एस. एस. सी. द्वारा घोषित परिणामों को विभिन्न आधारों पर आक्षेपित किया गया था, जिसमें रिक्तियों की मूल संख्या में वृद्धि का न होना तथा उम्मीदवारों की संख्या में बहुत अधिक होना और अंतिम परिणाम में गलत उत्तरों पर आधारित विभिन्न प्रश्नों का सम्मिलित होना था।

6. एकल न्यायाधीश ने गुण-दोष के आधार पर पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद कहा कि रिक्तियों की संख्या में वृद्धि प्रारंभ में विज्ञापित संख्या से परे चयन और नियुक्ति के लिए विचार करना वैध था और इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के अनुरूप था; यह भी माना गया कि परिणाम में संशोधन के कारण अनुपात संख्या (एक पद के लिए पांच उम्मीदवारों के विचार के) अनुपात से अधिक थी इसके बावजूद पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि (यानी प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित मूल 16,425 के बजाय 27,289) उचित थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप परिणाम में परिवर्तन ने 915 उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिन्हें पहले दिनांक 12.04.2012 पर घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सफल घोषित किया गया था। पटना उच्च न्यायालय में दाखिल वाद के मनोज कुमार बनाम. बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश द्वारा यह माना गया कि इन उम्मीदवारों को परिणाम में बदलाव से परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए बी. एस. एस. सी. ने इन 915 उम्मीदवारों को सफल उम्मीदवारों की सूची में बरकरार रखा। इसके अलावा, उत्तरों में बदलाव के कारण कई अन्य लोगों को शामिल किया गया जिन्होंने अब इन 915 उम्मीदवारों के समान अंक प्राप्त किए। सफल उम्मीदवारों की संख्या में 16,425 से 27,289 की इस परिणामी वृद्धि को एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमेय माना गया था। बी. एस. एस. सी. द्वारा स्वीकार किए गए उत्तरों के गुण-दोष की जांच करने के बाद, एकल न्यायाधीश की राय थी कि प्रश्न संख्या 82, 147, 148 और 149 गलत थे; बी. एस. एस. सी. को उक्त चार प्रश्नों को हटाने के बाद उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश के साथ रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई थी।

7. एकल न्यायाधीश के उस फैसले के खिलाफ दो अपीलें की गईं। यह तर्क दिया गया कि बी. एस. एस. सी. ने प्रश्न संख्या 61, 62, 67, 82, 98, 107, 111, 124, 125, 148 और 149 का गलत

मूल्यांकन किया था। आक्षेपित आदेश द्वारा, खंड पीठ ने आंशिक रूप से अपीलों को स्वीकार कर लिया। आक्षेपित आदेश में दिए गए निर्देश निम्नलिखित हैं: ¹ 2012 (1) पीएलजेआर 542 [2020] 4 एस. सी. आर.

" 22. इस प्रकार, हम केवल प्रश्न संख्या 69 के संबंध में परिवर्तन पाते हैं जहाँ सही उत्तर विकल्प (ए) है। प्रश्न संख्या 98 के संबंध में सही उत्तर विकल्प (डी) है। प्रश्न संख्या 107 के संबंध में सही उत्तर उपलब्ध नहीं है और इसे हटा दिया जाना चाहिए एवं प्रश्न संख्या 111 के संबंध में, हमारा मानना है कि इसे हटाया नहीं जाना चाहिए और इसका सही उत्तर विकल्प (सी) है।

23. इस प्रकार, हम यहां ऊपर बताए गए तरीके से इन चार प्रश्नों की सीमा तक ही विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक हैं।

24. इस प्रकार, अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि चयन की प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों के अनुसार संशोधित और प्रकाशित किए गए परिणामों में पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित चार प्रश्नों के संबंध में और संशोधन की आवश्यकता होगी, लेकिन यह उन व्यक्तियों के नए संशोधित परिणामों के अनुसार नहीं होगा जिन्हें पहले ही चुना जा चुका है और नियुक्त किया जा चुका है लेकिन इस बार जो सफल प्रयास नहीं करते हैं उन्हें अयोग्य घोषित कर बर्खास्त कर दिया जाएगा। हमारा मानना है कि यह अत्यधिक अन्यायपूर्ण होगा क्योंकि वे किसी धोखाधड़ी या कदाचार के दोषी नहीं हैं अपितु उनके द्वारा न किये गये गलतियों के शिकार हैं। हम इस संबंध में राजेश कुमार (उपरोक्त) एवं विकास प्रताप सिंह मामले में शीर्ष अदालत के फैसलों को पहले ही नोट कर चुके हैं लेकिन उससे भी यह बात समाप्त नहीं होती है। इन चार प्रश्नों के उत्तरों के परिवर्तन से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें पहले नहीं चुना गया था परंतु अब अंतिम योग्यता सूची में हैं, उन्हें बाहर रखना अन्याय होगा।

25. इस मामले पर विचार करने के बाद, हम तदनुसार आदेश देंगे कि ऐसे व्यक्ति जो अब योग्यता सूची में आते हैं, उन्हें समायोजित करना होगा, यदि जिस केंद्र के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी तो उनकी वरिष्ठता उनकी नियुक्ति की तारीख चाहे जो भी हो, योग्यता के आधार पर निर्धारित की जाएगी। तदनुसार, इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इन लेटर पेटेंट अपीलों का निपटारा किया जाता है।

8. एस. एल. पी. (सी) सं. 29764-65/2015 से उत्पन्न दीवानी अपीलों में अपीलार्थी विवादित फैसले से व्यथित हैं; उनकी शिकायत यह है कि खण्डपीठ ने केवल चार गलत उत्तरों (प्रश्न संख्या 69, 98, 107 और 111) के संबंध में राहत प्रदान किया है जबकि अन्य प्रश्न एवं उत्तर भी दोषपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 61, 62, 67, 82, 98, 107, 111, 124, 125, 148 और 149 को हटा देना चाहिए। एस. एल. पी. (सी) 30109/2016 से उत्पन्न दीवानी अपीलों में अपीलार्थी, दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि प्रश्न संख्या 61, 82, 119, 124, 125 और 135 के उत्तरों को सही किया जाना है और तत्पश्चात सही किये गये उत्तरों पर आधारित परिणामों की सूची प्रकाशित की जानी चाहिए थी। बी. एस. एस. सी. ने एस. एल. पी. (सी) सं. 23202-04/2015 से उत्पन्न अपनी अपील वाद में दूसरी ओर यह आग्रह करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के बाद में नियुक्तियों की गई थी क्योंकि रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत को काफी हद तक कम कर दिया गया था। यह निजी प्रत्यर्थियों (जिनमें से कुछ इस न्यायालय के समक्ष हैं) जिन्होंने पाया कि उनके नाम विचार के दायरे से बाहर थे, के द्वारा दायर अपीलों के संदर्भ में था कि खंड पीठ ने विवादित निर्णय दिया।

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय में दिए गए निर्देश, जिनमें पहले से की गई नियुक्तियों को बाधित किए बिना कैंडर में उपलब्ध रिक्तियों के मुकाबले योग्यता सूची में आने वाले उम्मीदवारों के समायोजन की आवश्यकता होती है, सेवा कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह रेखांकित किया जाता है कि यदि विवादित निर्देशों का पालन किया जाता है, तो 3285 रिक्तियों के लिए जो कि 21 विभिन्न संवर्गों के पदों के लिए हैं उनमें से अधिकांशतः में अतिरिक्त योग्यताओं की जरूरत होने के कारण चयन में कर्ई जटिलताएं होंगी। यह भी आग्रह किया जाता है कि इसमें अतिरिक्त पदों का सृजन भी शामिल होगा।

10. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने 30.10.2015 को नोटिस जारी किया था। इस बीच, 28.09.2015 को बी. एस. एस. सी. को संभावित परिणाम दिखाने के लिए निहित निर्देशों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए कहा गया था।

11. न्यायालय ने 25.09.2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

" पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिकताओं को सुनने के बाद, हमारा मानना है कि बिहार लोक सेवा आयोग को तीन सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करनी चाहिए, जो कि इस आदेश में उल्लेखित प्रश्नों के सही उत्तरों को निर्धारित करे। विशेषज्ञ समिति का गठन आज से दो सप्ताह के भीतर करना है। विशेषज्ञ समिति अपना प्रतिवेदन सीलबंद कवर में विशेषज्ञ समिति के गठन के चार सप्ताह के अंदर इस न्यायालय को सौंपेगी। विशेषज्ञ समिति के पास उनकी सहायता करने में उनकी पसंद के लोगों के सह-चयन करने का विवेकाधिकार होगा। एक अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले पक्षों के अभ्यावेदन आज से दो सप्ताह बाद की अवधि के भीतर दाखिल कर दिया जाना है ताकि समिति गठन के पश्चात समिति इस पर विचार कर सके।

वाद छः सप्ताह बाद प्रस्तुत करें।

यह निर्धारित करने के लिए कि [2020] 4 एस. सी. आर. का सही उत्तर क्या है। प्रश्न जो इस आदेश के भाग के रूप में संलग्न किए गए हैं। द. दो सप्ताह की अवधि के भीतर विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाएगी आज से। विशेषज्ञ समिति तब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय को एक सीलबंद लिफाफे में समिति के गठन की तारीख से। विशेषज्ञ समिति के पास सह-चयन करने का विवेकाधिकार बचा है उनकी सहायता करने में उनकी पसंद के लोग। एक अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले पक्षों के अभ्यावेदन आज से दो सप्ताह बाद ताकि समिति विचार कर सके जब और जब इसका गठन किया जाता है। छह सप्ताह के बाद सूची बनाएँ।

12. वे प्रश्न जो विशेषज्ञ समिति को भेजे गए थे, आदेश दिनांक 25.09.2019 के हिस्से के रूप में क्रमवार एक सारणीबद्ध रूप में निकाले गए जो कि निम्नलिखित हैं:-

क्रमांक संख्या	में प्रश्न उनके चारों विकल्पों के साथ
1.	61. प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है

	(ए) साइट्रिक एसिड (बी) ग्लूकोज (सी) स्टार्च (डी) माल्टोज
2.	69. कौन सी तकनीक पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के विकास के बाद ही संभव है (ए) डी०एन०ए० फिंगरप्रिंटिंग (बी) मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन (सी) किण्वन (डी) टीकाकरण
3.	82. भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है (ए) केरल (बी) गोवा (सी) तमिलनाडु (डी) पश्चिम बंगाल
4.	98. $2 \times (3 + 4)$ बराबर है: (ए) $(3 \times 4) + 2$ (बी) $(2 \times 4) + 3$ (सी) $(3 \times 2) + 4$ (डी) $(2 \times 3) + (2 \times 4)$
5.	107. YEB श्रृंखला में अगला कौन सा शब्द आता है, (ए) क्यू. जी. एल. (बी) टी. ओ. एल. (सी) क्यू. एन. एल. (डी) क्यू. ओ. एल.
6.	111. यदि धूल को हवा कहा जाता है, तो हवा को आग कहा जाता है, आग को पानी कहा जाता है, पानी को रंग कहा जाता है, रंग को वर्षा को धूल कहा जाता है तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं? (ए) आग (बी) पानी (सी) रंग (डी) धूल
7.	119. तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए: (1) तितली (2) कोकून (3) अंडा (4) कीड़ा (ए) 1, 3, 4, 2 (बी) 1, 4, 3, 2 (सी) 2, 4, 1, 3 (डी) 3, 4, 2, 1
8.	124. बयानों को देखते हुए—“कोई भी फल पेड़ नहीं है। सभी फूल पेड़ हैं”, निम्नलिखित में से कौन सा सही है (ए) कोई फल फूल नहीं होता (बी) कुछ पेड़ फूल होते हैं (सी) सभी फूल फल हैं (डी) इनमें से कोई भी नहीं।
9.	125. बयानों को देखते हुए: सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं और कोई दरवाजा दीवार नहीं है। (ए) कोई खिड़की दीवार नहीं है (बी) कोई दीवार दरवाजा नहीं है (सी) कुछ खिड़कियाँ दीवारें हैं (डी) इनमें से कोई नहीं।
10.	135. 'SLEEP' शब्द को 'DREAM' में बदलने में कितने न्यूनतम चरणों की आवश्यकता है आपको एक बार में एक अक्षर बदलना होगा और सभी परिवर्तनों का परिणाम एक सार्थक शब्द में होना चाहिए।

	(ए) 5 (बी) 4 (सी) 6 (डी) 7
--	----------------------------

13. डॉ. एस. के. श्रीवास्तव, प्रोफेसर(सेवानिवृत्त), जीव विज्ञान के स्नाकोत्तर विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना और पूर्व कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना; डॉ. एल. एन.राम, प्रोफेसर(सेवानिवृत्त) भूगोल के स्नाकोत्तर विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना और पूर्व कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना; डॉ. बिनोद कुमार पांडे, प्रो. एवं प्रमुख सांख्यिकी के स्नाकोत्तर विभाग पटना विश्वविद्यालय, पटना, और डॉ. बालगंगाधर प्रसाद, प्रोफेसर(सेवानिवृत्त), गणित के स्नातकोत्तर विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं सह-चयनित सदस्य, उपरोक्त चार विशेषज्ञों की समिति ने रिपोर्ट दिनांक 04.11.2019 को एक सामान्य रिपोर्ट निर्धारित किया जिसके उद्धरण (प्रश्नों के उत्तर) का सारांश नीचे दिया गया है:

बनाम

अरुण कुमार एवं अन्य।

" विशेषज्ञ समिति द्वारा सवाल का जवाब

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस. एल. पी. (सी) सं. 23202-23204/2015 के साथ एस. एल. पी. (सी) सं. 29764-29765/2015, एस. एल. पी. (सी) सं. 30109/2016 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2019 के आलोक में विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गये सवालों के जवाब निम्नलिखित हैं:-

क्रम संख्या	प्रश्न संख्या	सही जवाब
1.	61	बी
2.	69	ए
3.	82	सी
4.	98	डी
5.	107	कोई विकल्प सही नहीं
6.	111	डी
7.	119	डी

8.	124	ए
9.	125	दो विकल्प सही
10.	135	सी

जिनकी व्याख्या अलग-अलग पृष्ठों पर दी गई है।

14. रिपोर्ट में उत्तरों के औचित्य में विस्तृत तर्क भी शामिल हैं, जो विशेषज्ञों के अनुसार सही जवाब होने के लिए निर्धारित हैं एवं यह विस्तृत तर्क भी एक सामान्य दस्तावेज में है, जिसे चार विशेषज्ञों द्वारा सर्वसम्मति से तैयार किया गया है।

15. बी. एस. एस. सी. की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में चयन की प्रक्रिया बहुत जटिल है क्योंकि 21 विभिन्न संवर्गों में कुल 3285 रिक्तियां हैं एवं विभिन्न विभागों के तहत विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता वाले पदों को अधिसूचित किया गया था और आयोग द्वारा रिट याचिका में पारित निर्णय के अनुपालन में लंबे समय पूर्व वर्ष 2013 में सिफारिशें भेजी गई थीं, सिफारिशें किसी विशेष पद के लिए उम्मीदवारों की योग्यता सह पसंद और उपयुक्तता के आधार पर की गई थीं।

16. इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि विवादित निर्णय में पारित आदेश के अनुपालन करने में या समिति कि रिपोर्ट के संदर्भ में परिणाम में कोई भी संशोधन करना प्रशासनिक अराजकता पैदा करेगी साथ ही साथ इस प्रयास से मुकदमों की संख्या में बहुतायत वृद्धि होगी। यह प्रयास अंतिम परिणाम को पूरी तरह से बदलकर रख देगी जिससे न केवल बड़ी संख्या में अनुशंसित, चयनित और नियुक्त उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि इसके परिणामस्वरूप पिछले छह वर्षों से पहले से ही नियुक्त और काम कर रहे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की सेवा और अंतर-वरिष्ठता की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। यह कहा गया है कि परिणाम को उन उम्मीदवारों तक सीमित रखने से भी मदद नहीं मिलेगी जो उच्च न्यायालय या इस अदालत के समक्ष मुकदमेबाजी में थे, क्योंकि जिन उम्मीदवारों ने परिणाम के संशोधन का दावा नहीं किया था, वे समानता के सिद्धांतों पर नियुक्ति का दावा करेंगे और जो पहले से ही नियुक्त हैं, वे अपनी सेवाओं में संशोधित योग्यता स्थिति और अंतर-वरिष्ठता के अनुसार परिवर्तन का दावा करेंगे।

17. यह प्रस्तुत किया जाता है कि शुरू में इस अदालत ने दिनांक 28.09.2015 के आदेश द्वारा बी. एस. एस. सी. को विवादित निर्णय पर काम करने और इसकी संभावना दिखाने का निर्देश दिया था जिसका परिणाम यह है कि उस आदेश के अनुसार, बी. एस. एस. सी. ने 24.09.2015 और 28.10.2015 दिनांकित अतिरिक्त हलफनामे दायर किए और उन पर विचार करने के बाद, इस अदालत ने अपने आदेश दिनांक 31.10.2015 के द्वारा नोटिस जारी किया और विवादित निर्णय पर

रोक लगा दी। परिणाम में परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान बी०एस०एस०सी० द्वारा दाखिल दो अतिरिक्त हलफनामों (केवल चार प्रश्नों के संबंध में) में बताए गए निम्नलिखित आंकड़ों से लगाया जा सकता है:

(क) 249 उम्मीदवारों को सेवा से हटाना होगा और इतनी ही संख्या में उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(ख) यदि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 249 उम्मीदवारों को सेवा में बनाए रखा जाना है, तो 249 नए उम्मीदवारों को नियुक्ति देने एवं आरक्षण सूचि को बनाए रखने हेतु 688 अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होगी।

(ग) यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके परिणामस्वरूप पहले से नियुक्त 1162 उम्मीदवारों की पदों / सेवाओं में परिवर्तन होगा और यदि उन्हें अपने पुराने पदों पर रखा जाता है, तो कुल 3362 पदों की आवश्यकता होगी।

18. यह तर्क दिया जाता है कि अब यदि विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों को लागू किया जाता है, तो परिणाम में हुए परिवर्तन के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए पहले से ही विज्ञापित पदों के अलावा लगभग 3000 से 6000 अतिरिक्त पद बनाए जाने की आवश्यकता होगी। यह भी तर्क दिया जाता है कि मुकदमेबाजी और प्रशासनिक अराजकता से बचने के लिए, रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य² में इस अदालत के फैसले के आलोक में, यह निर्देश दिया जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के आधार पर प्रकाशित परिणाम, भेजी गई सिफारिश और नियुक्तियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। रण विजय सिंह (सूप्रा) के वाद में न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि:-

हम अपनी ओर से यह जोर सकते हैं कि करुणा एवं सहानुभूति उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के निर्देशन और निर्देशन न करने के मामले में कोई भूमिका नहीं निभाता है। यदि परीक्षा प्राधिकरण द्वारा कोई त्रुटि हुई होती है तो, उम्मीदवारों के पूरे निकाय को पीड़ा होती है। केवल कुछ उम्मीदवारों के साथ हुए अन्याय या फिर वे गलत सवाल एवं जवाब से असंतुष्ट एवं निराश हैं तो ऐसे में पूरी परीक्षा की प्रक्रिया को पटरी से उतारना सही नहीं है। सभी उम्मीदवारों को समान रूप से नुकसान होता है, हालांकि कुछ को अधिक नुकसान हो सकता है लेकिन उनकी मदद नहीं की जा सकती क्योंकि गणितीय परिशुद्धता का सही होना हमेशा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय ने एक रास्ता दिखाया है कि गतिरोधक या संदिग्ध प्रश्नों को प्रश्नों के मूल्यांकन से बाहर कर देना चाहिए।

19. उत्तरों के लिए सारणीबद्ध तुलनात्मक कथन इस न्यायालय के निर्देशों के तहत नियुक्त विशेषज्ञों के लिए, और उम्मीदवारों के सापेक्ष दावे को नीचे निकाला गया है:

विवादित सवालों के परिणामों का सारणीबद्ध तुलनात्मक कथन

12

क्रमांक संख्या	विवादित प्रश्न	बी०एस०एस०सी का मंतव्य	एकलपीठ	खंडपीठ	विशेषज्ञों का मंतव्य	उम्मीदवारों का दावा
1.	61. प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है (ए) साइट्रिक एसिड (बी) ग्लूकोज (सी) स्टार्च (डी) माल्टोज	(बी)	(बी)	(बी)	(बी)	(सी)
2 .	69. कौन सी तकनीक पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के विकास के बाद ही संभव है (ए) डी०एन०ए० फिंगरप्रिंटिंग (बी) मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन (सी) किण्वन (डी) टीकाकरण	(डी)	(डी)	(ए)	(ए)	(ए)

²(2018) 2 एस०सी०सी० 357

क्रमांक संख्या	विवादित प्रश्न	बी०एस०एस०सी का मंतव्य	एकलपीठ	खंडपीठ	विशेषज्ञों का मंतव्य	उम्मीदवारों का दावा
3.	82. भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है (ए) केरल (बी) गोवा (सी) तमिलनाडु (डी) पश्चिम बंगाल	हटाएं	हटाएं page 248	हटाएं page 44	(सी)	(सी)

13

4.	98. $2 \times (3 + 4)$ बराबर है: (ए) $(3 \times 4) + 2$ (बी) $(2 \times 4) + 3$ (सी) $(3 \times 2) + 4$ (डी) $(2 \times 3) + (2 \times 4)$	(ए) एवं (डी)	(ए) एवं (डी) page 190 आर page 242	(डी) page 45	(डी)	(ए) एवं (डी)
----	--	--------------	--	---------------------	------	--------------

क्रमांक संख्या	विवादित प्रश्न	बी०एस०एस०सी का मतव्य	एकलपीठ	खंडपीठ	विशेषज्ञों का मतव्य	उम्मीदवारों का दावा
5.	107. YEB श्रृंखला में अगला कौन सा शब्द आता है, (ए) क्यू. जी. एल. (बी) टी. ओ. एल. (सी) क्यू. एन. एल. (डी) क्यू. ओ. एल.	(डी)	(डी) page 257	हटाएं page 46	हटाएं	हटाएं
6.	111. यदि धूल को हवा कहा जाता है, तो हवा को आग कहा जाता है, आग को पानी कहा जाता है, पानी को रंग कहा जाता है, रंग को वर्षा को धूल कहा जाता है तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं? (ए) आग (बी) पानी (सी) रंग (डी) धूल	हटाएं	हटाएं page 194, 243 आर page 256	(सी) page 4 ७	(डी)	(सी)
7..	119. तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए: (1) तितली	(ए एंड डी)	(ए एंड डी) page 242	not pressed	(डी)	(ए एंड डी) page 95 Gr.I

	(2) कोकून (3) अंडा (4) कीड़ा (ए) 1, ३, 4, 2 (बी) 1, 4, ३, 2 (सी) 2, 4, 1, ३ (डी) ३, 4, 2, 1					
--	---	--	--	--	--	--

क्रमांक संख्या	विवादित प्रश्न	बी०एस०एस०सी का मंतव्य	एकलपीठ	खंडपीठ	विशेषज्ञों का मंतव्य	उम्मीदवारों का दावा
8.	124. बयानों को देखते हुए—"कोई भी फल पेड़ नहीं है। सभी फूल पेड़ हैं", निम्नलिखित में से कौन सा सही है (ए) कोई फल फूल नहीं होता (बी) कुछ पेड़ फूल होते हैं (सी) सभी फूल फल हैं (डी) इनमें से कोई भी नहीं।	(ए)	(ए) page 257	(ए) page 47	(ए)	(ए) एवं (बी) page 95 Gr.J
9.	125. बयानों को देखते हुए: सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं और कोई दरवाजा दीवार नहीं है। (ए) कोई खिड़की दीवार नहीं है (बी) कोई दीवार दरवाजा नहीं है (सी) कुछ खिड़कियाँ दीवारें हैं (डी) इनमें से कोई नहीं।	(ए)	(ए) page 257	(ए) page 48	(ए) एवं (बी) हटाएं	((ए) एवं (बी) page 95 Gr.K

10.	135. 'SLEEP' शब्द को 'DREAM' में बदलने में कितने न्यूनतम चरणों की आवश्यकता है आपको एक बार में एक अक्षर बदलना होगा और सभी परिवर्तनों का परिणाम एक सार्थक शब्द में होना चाहिए। (ए) 5 (बी) 4 (सी) 6 (डी) 7	(ए)	not pressed	not pressed	(सी)	(बी)
-----	--	-----	-------------	-------------	------	------

यह स्पष्ट है कि इस अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने दो प्रश्नों (क्रमांक संख्या 5 और 9) के दोषपूर्ण या अस्पष्ट (यानी एक से अधिक) उत्तरों के कारण मूल्यांकन के उद्देश्य से हटाने हेतु सिफारिश की। यह अभिलेख की बात है कि याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने दोषपूर्ण मूल्यांकन के परिणामस्वरूप परिणामों की घोषणा में मनमानेपन की शिकायत करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। परंतु इससे पहले कि वे न्यायालय के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत करते, बी. एस. एस. सी. ने विशेषज्ञ मूल्यांकन के लिए परिणाम जमा करने की कवायद शुरू कर दी थी, और फिर कुछ (विचारणीय) प्रश्नों को हटाकर प्रमुख उत्तरों को संशोधित कर दिया था। फिर से बी. एस. एस. सी. द्वारा, एकल न्यायाधीश के निर्देशों का पालन किया गया जिसके परिणामस्वरूप, कई उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। खंड पीठ ने, खेदजनक रूप से, मूल रूप से चुने गए उम्मीदवारों की अपीलों के संदर्भ में, जिन्होंने बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन के निर्णय पर सवाल उठाया एवं संशोधित योग्यता सूची पर सवाल उठाया तथा वे लोग जिन्हें एकल पीठ द्वारा चयन से बाहर रखा गया था उन्होंने खंडपीठ के समक्ष न्याय हेतु दरवाजा खटखटाया।

20. यह अदालत दोहराती है कि उम्मीदवारों के मूल्यांकन से संबंधित मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा-विशेष रूप से, सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के उद्देश्य से संकीर्ण है। न्यायालय के पिछले निर्णयों³ ने लगातार इस बात को रेखांकित किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, न्यायिक समीक्षा का उपयोग शायद ही कभी किया जाना चाहिए-अधिमानतः असाधारण परिस्थितियों में। ए.प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (ऊपर) मामले में इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" आयोग के प्रासंगिक नियमों के तहत ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें एक उम्मीदवार फिर से उनके उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का हकदार हो सकता है। एक प्रावधान है कि जिसके तहत उत्तरपुस्तिका की दुबारा जाँच की जा सकती है जिसमें जाँच का यह होता है कि उम्मीदवार द्वारा दिए गए सभी जवाबों का जाँच हो चुका है कि नहीं और प्रश्न के अंकों के योग में कोई त्रुटि तो नहीं है और उन्हें उत्तर पुस्तिका के पहले आवरण पृष्ठ पर सही ढंग से अंकित किया गया है या नहीं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के जाँच के बाद अपीलार्थी को दिए गए अंकों में कोई गलती नहीं पाई गई है। उत्तर पुस्तिकाओं पुनर्मूल्यांकन संबंधी नियमों में कोई भी प्रावधान न रहने के कारण किसी भी उम्मीदवारों को अंकों के पुनर्मूल्यांकन करने हेतु कहने या दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। खुशबू श्रीवास्तव के वाद में भी इसी तरह के विचार को प्रतिध्वनित किया गया था:

³ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बनाम परितोष भुपेशकुमार सेठ एवं अन्य (1984) 4 एस. सी. सी. 27; प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना और अन्य। (2004) 6 एस. सी. सी. 714; माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पांडा (2004) 13 एस. सी. सी. 383; हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर एवं अन्य (2010) 6 एस. सी. सी. 759; गंगाधर पालो बनाम राजस्व मंडल अधिकारी एवं अन्य (2011) 4 एस. सी. सी. 602; सचिव के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा एवं अन्य बनाम खुशबू श्रीवास्तव एवं अन्य (2014) 14 एस. सी. सी. 523 और रण विजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2018) 2 एस. सी. सी. 357।

" 7. हम पाते हैं कि प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग पटना एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर बोर्ड एवं अन्य बनाम स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर बोर्ड पर भरोसा किया है माध्यमिक शिक्षा और एन. आर. वी. परितोष भुपेशकुमार सेठ अन्य में पारित आदेश पर स्पष्ट तौर पर भरोसा करते हुए यह कहा है कि पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं में पुनर्मूल्यांकन हेतु किसी भी वधान के अभाव में किसी भी प्रावधान के अभाव में किसी भी उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उकने अंकों के पुनर्मूल्यांकन की माँग करने और अथवा पुनर्मूल्यांकन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग पटना एवं अन्य में पारित निर्णय को अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पांडा एवं अन्य (2004) 13 एस. सी. सी. 383; के वाद में भी अनुमोदित किया जिसमें 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश को कानूनी रूप से अस्थिर माना गया था क्योंकि परीक्षा आयोजित करने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा के विनियमों के नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

8. वर्तमान मामले में, सी. बी. एस. ई. द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा, 2007 के उप-कानून के अनुसार सी०बी०एस०ई० उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्परीक्षण या पुनर्मूल्यांकन नहीं प्रदान करता है। इसलिए, अपीलकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रतिनिधित्व पर इस तरह की पुनः परीक्षा या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दे सकते थे और तदनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया। उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः परीक्षा/पुनर्मूल्यांकन। हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि 25,000 / - की राशि जमा करने पर उत्तर पुस्तिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी और जब उत्तरपुस्तिकाएं प्रस्तुत की गईं तो विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वयं सी०बी०एस०ई० द्वारा दिए गए मॉडल उत्तरों के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 के अंकों के साथ उसका मिलान किया एवं मिलानोपरांत रसायन विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में प्रत्यर्थी संख्या 1 को दो अंक अतिरिक्त दिए परंतु किसी भी प्रकार की कोई अन्य राहत देने से इंकार किया। जब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष एल. पी. ए. दायर किया, तो खंड पीठ ने रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में प्रत्यर्थी संख्या 1 के दो उत्तरों की भी जांच की और विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 1 दो उत्तरों के लिए दो अतिरिक्त अंकों का हकदार था। हमारी सुविचारित राय में, न तो विद्वान एकल न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय की खंड पीठ परीक्षकों के लिए अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित कर सकती थी और ना ही संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिलने वाली न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो उत्तरों के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को दो अतिरिक्त अंक प्रदान कर सकती थी। क्योंकि ये विशुद्ध रूप से अकादमिक मामले हैं। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बनाम परितोष भुपेशकुमार सेठ एवं अन्य के वाद में इस न्यायालय (सुप्रा) ने ध्यानपूर्वक यह देखा है कि: जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार इंगित किया गया है कि, न्यायालय को अपने स्वयं के विचारों जैसे कि क्या बुद्धिमतापूर्ण, विवेकपूर्ण और उचित है को शैक्षणिक मामलों के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञता और वास्तविक दिन-प्रतिदिन काम करने के समृद्ध अनुभव रखने वाले पेशेवर व्यक्तियों एवं उन्हें नियंत्रित करने वाली संस्थाओं के विचारों पर प्रतिस्थापित करने में अत्यधिक अनिच्छुक होना चाहिए। न्यायालय के लिए यह पूरी तरह से गलत होगा कि वह इस प्रकृति की समस्याओं के लिए एक पांडित्यपूर्ण और विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाए, जो प्रणाली के काम करने में शामिल वास्तविक वास्तविकताओं और जमीनी समस्याओं से अलग हो और उन परिणामों से बेपरवाह हो जो विशुद्ध रूप से आदर्शवादी होने पर उत्पन्न होंगे।

9. हम, इसलिए, अपील को स्वीकृत करते हुए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के विवादित आदेश को दरकिनार करते हैं और रिट आवेदन को खारिज किया जाता है। हमें सूचना है कि पहले उत्तरदाता को बाद में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में भर्ती कराया जा चुका है। यदि ऐसा है, तो एमबीबीएस में उनका प्रवेश प्रभावित नहीं होगा। "

21. रण विजय सिंह (ऊपर एफ. एन. 2) में निर्णय, पिछले निर्णयों की समीक्षा के बाद, इस प्रकार था:

" 30. इसलिए इस विषय पर कानून काफी स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उजागर करने का प्रस्ताव करते हैं। वे ये हैं:

(i) यदि कोई कानून, नियम या विनियमन परीक्षा के उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या अधिकार के रूप में उत्तर पुस्तिका की जांच की अनुमति देती है, तो वास्तविक रूप में परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी इसकी अनुमति दे सकते हैं;

(ii) यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियमन उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (जो इसे प्रतिबंधित करने से अलग है) तो न्यायालय पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब इसे बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो किया जाता है और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में कि गर्इ भौतिक त्रुटि हो;

(iii) न्यायालय को किसी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच-पड़ताल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और शैक्षणिक मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा है।

(iv) न्यायालय को मॉडल उत्तरों की शुद्धता का अनुमान लगाना चाहिए और उस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए; और

(v) संदेह की स्थिति में, लाभ उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को दिया जाना चाहिए।

32. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद, जिनमें से कुछ पर ऊपर चर्चा की गई है, परीक्षाओं के परिणाम में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। यह हस्तक्षेप उम्मीदवारों को नहीं परंतु परीक्षा प्राधिकरणों को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा करता है जहां वे जांच के दायरे में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एक व्यापक और कभी-कभी लंबे समय तक चलने वाली परीक्षा अनिश्चितता की स्थिति पर समाप्त हो जाती है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा की तैयारी हेतु कठिन परिश्रम किया जाता है परंतु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि परीक्षा प्राधिकरण द्वारा भी उते ही कठिन परिश्रम के पश्चात सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित की जाती है।

कार्य की विशालता से बाद के चरण में कुछ चूक का पता चल सकता है, लेकिन न्यायालय को परीक्षा में सफलतापूर्वक भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों में हस्तक्षेप करने से पहले परीक्षा प्राधिकरण द्वारा रखे गए आंतरिक तर्कों एवं तथ्यों पर विचार करना चाहिए। वर्तमान अपील भी इस तरह के हस्तक्षेप के परिणाम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां आठ साल के अंतराल के बाद भी परीक्षाओं के परिणाम की कोई अंतिमता नहीं है। परीक्षा प्राधिकरण के अलावे उम्मीदवार भी परीक्षा के परिणाम की अनिश्चितता के बारे में सोच रहे हैं कि क्या वे उत्तीर्ण हुए हैं या नहीं; क्या उनके परिणाम को न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाएगा या नहीं, क्या उनका नामांकन किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में किया जाएगा या नहीं एवं क्या उन्हें चयनित किया जाएगा या नहीं। यह असंतोषजनक स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है एवं परिणामों की अनिश्चितता की ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप भ्रम की स्थिति पैदा होती है जिससे समग्र आैर व्यापक प्रभाव जनहित पर पड़ता है।

22. इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों में कानून की स्पष्ट घोषणा को देखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि, उच्च न्यायालय द्वारा किया गया (एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों द्वारा) पुनर्मूल्यांकन का एकतरफा अभ्यास ने समस्या हल करने के बजाए अराजकता में योगदान दिया है। सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा कोई नियम या विनियमन नहीं दिखाया गया, जिसने अपनाए गए दृष्टिकोण को उचित ठहराया गया हो। हमारी राय में बी. एस. एस. सी. ने, विशेषज्ञों के एक पैनल को उत्तर भेजकर पहली बार में सही काम किया। यदि, बी. एस. एस. सी. को कोई न्यायिक संदेह पैदा होता है तो वह इस विवाद या संदेह के प्रश्न पर दुसरे विशेषज्ञ समिति को भेजेगा परंतु ऐसा नहीं किया गया एवं एकलपीठ द्वारा इंगित किये गये सुधारों को बी०एस०एस०सी द्वारा स्वीकृत किया गया जिससे एकलपीठ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार

हाल ही में तैयार की गई चयन सूची में जगह बनाने वाले कई उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात खंडपीठ ने विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञों के किसी अन्य पैनल को न भेजकर मामले को और जटिल बनाते हुए पूरी कवायद को नए सिरे से शुरू किया। हम इस विलाप को दोहराते हुए रह गए हैं, (रन विजय में किया गया) कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप परीक्षाओं में "लंबे समय के अंतराल के बावजूद अंतिम परिणाम नहीं आया है जिससे न केवल चयन के बारे में अनिश्चितता होती है बल्कि पूरे कैडर के बारे में अनिश्चितता रहती है, क्योंकि चयनित (और नियुक्त) उम्मीदवारों की अंतर वरिष्ठता उतार-चढ़ाव की स्थिति में आ जाती है।

23. जैसा कि पहले देखा गया है कि, इस न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति ने न्यायालय को अपनी सिफारिशें दी हैं। चूँकि यह अभ्यास इंगित करता है कि पिछले पुनर्मूल्यांकन (एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों द्वारा विशेषज्ञ सिफारिशों के अभाव में किए गए) सही एवं सटीक नहीं हैं, एक असाधारण मामले के रूप में, हम उन्हें स्वीकार करने का प्रस्ताव करते हैं। हमारा यह दृष्टिकोण प्रणव वर्मा बनाम महानिबंधक पंजाब आँर हरियाणा उच्च न्यायालय के हाल के फैसले के अनुरूप है। जहाँ न्यायालय ने एकल सदस्य की सिफारिशों को स्वीकार कर न्यायिक सेवा में उम्मीदवारों की भर्ती से संबंधित सार्वजनिक परीक्षा के परिणामों में संशोधन का निर्देश दिया था।

24. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, बी. एस. एस. सी. को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा गठित किए गए विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों और रिपोर्ट के आलोक में मूल्यांकन करते हुए नवीन परिणाम प्रकाशित करें एवं बिहार सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि एकल न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार पहले की गई नियुक्तियों में बाधा नहीं डालें। यदि चयनित उम्मीदवारों (पुनरिक्षित परिणामों पर आधारित) की संख्या विचारित अंतिम तिथि तक (संबंधित भर्ती या भर्ती में) वर्तमान की रिक्तियों से ज्यादा होती है तो बिहार सरकार 31.12.2019 तक संबंधित कैडरों में अतिरिक्त संख्याओं को समायोजित करेगी। यह न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते इस वाद में अंतिम निर्णय देती है।

25. उपरोक्त कारणों से, पटना उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय के साथ-साथ एकल न्यायाधीश के निर्णय को दरकिनार करती है एवं अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों के बिना किया जाता है।

अपील निपटाया गया।

अंकित ज्ञान